

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 27, गुरुवार, श०के 1947- दिसम्बर 18, 2025 Agrahayana 27, Thursday, Saka 1947- December 18, 2025		

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 25, 2025

संख्या जविप्रा.उपा.जोन-08/2025/डी-1822 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण में जोनल विकास योजना 10 की रीको कांटे से लेकर डिग्गी मुहाना मोड के बीच प्रस्तावित 200 फीट सडक हेतु भूमि अनुपलब्धता के क्रम में प्रश्नगत प्रस्तावित 200 फीट सडक का मार्गाधिकार 120 फीट किये जाने का निर्णय जविप्रा की बीपीसी (एलपी) की 399वीं बैठक दिनांक 17.06.2025 में लिया गया। उक्त निर्णयानुसार आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 01.07.2025 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जविप्रा द्वारा विधि अनुसार किये जाने के उपरान्त उक्त प्रस्तावित सडक का मार्गाधिकार निर्धारण बीपीसी (एलपी) की 409वीं बैठक के निर्णयानुसार 120 फीट किया जाता है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण में जोनल विकास योजना 10 की रीको कांटे से लेकर डिग्गी मुहाना मोड के बीच प्रस्तावित 200 फीट सडक हेतु भूमि अनुपलब्धता के क्रम में जविप्रा की बीपीसी (एलपी) की 399वीं बैठक दिनांक 17.06.2025 में प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में बीपीसी (एलपी) की 409वीं बैठक 26.09.2025 के निर्णयानुसार प्रश्नगत प्रस्तावित 200 फीट सडक का मार्गाधिकार 120 फीट निर्धारित किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 25.11.2025 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।